न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र 14(4) सं0 98/2010

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा।

.. प्रार्थी

बनाम

1. हरनारायण पुत्र जन्सी जाति बागरिया सा0 चैनपुरा तहसील दौसा

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू–आंवटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत अप्रार्थी को भूमि आंवटन आदेश दिनांक 21.06.1989 निरस्त करने ।

उपस्थित : 1. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार
2. श्री ऋद्धिचंद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 03.09.2020

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा जिला दौसा द्वारा अप्रार्थी हरनारायण पुत्र जन्सी जाति बागरिया निवासी चैनपुरा तहसील दौसा को ग्राम बापी स्थित भूमि खसरा नं0 1635/2 रकबा 0.45 किस्म नहरी का आंवटन आदेश दिनांक 21.06.1989 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भूमि आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा श्री हरनारायण पुत्र जन्सी जाति बागरिया निवासी चैनपुरा को ग्राम बापी स्थित आराजी खसरा नं0 1635/2 रकबा 0.45 है0 का आंवटन दिनांक 21.06.1989 को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 11.06.1990 को आवन्टी को गैर खातेदार दर्ज किया जाना स्वीकार किया गया। आवन्टी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही कर भूमि उपयोग मे नहीं ली है। जो कि पत्रावली मे संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2059 एंव 2064 से 2067 से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आवन्टी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार आवन्टी ग्राम चैनपुरा मे निवासी भी नहीं करता है। अतः आवन्टी भूमि आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1989 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि बहक सरकार घोषित करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र 14(4) सं0 98/2010

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जबाव बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी द्वारा संवत 2045 से संबंधित खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नही की गई है। जिससे कि पैरोकार सरकार के उक्त कथन की पुष्टि नही होती है कि अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा । अप्रार्थी ग्राम चैनपुरा का निवासी है एवं किसी कार्यवश बाहर चला जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली मे संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2059 एंव 2064 से 2067 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर उक्त अवधि के दौरान कोई काश्त नहीं होकर पडत रही है। जिससे आवंटित भूमि पर आवन्टी का कब्जा नही होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भूमि आंवटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1989 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावें। तहसीलदार दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम हो एंव बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official